

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या- 39/2020

निर्णय दिनांक -26.06.2020

श्री मांगीलाल पिता हीरा जी जाति सरगरा आयु वयस्क निवासी वांगरेडा मामादेव तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

प्रार्थी

// वनाम //

1. मांगीलाल पिता भैरूलाल जी जाति नायक उग्र वयस्क निवासी वांगरेडा मामादेव तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढराज0 ।
2. सुरेश पिता नन्दलाल जी जाति कुम्हार उग्र वयस्क निवासी वांगरेडा तह0 निम्बाहेडा
जिला चित्तौडगढराज0 ।
3. किशोर पिता कालु जी जाति बलाई उग्र वयस्क निवासी वांगरेडा तह0 निम्बाहेडा जिला
चित्तौडगढ राज0 ।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा वांगरेडा पटवार हल्का वांगरेडा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 373 की आराजी नं0 1559/686 रकवा 0.5800 हैक्टेयर आराजी नं0 1562/687 रकवा 0.5700 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकवा 1.1500 हैक्टेयर की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यून्यालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा वांगरेडा पटवार हल्का वांगरेडा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 373 की आराजी नं0 1559/686 रकवा 0.5800 हैक्टेयर आराजी नं0 1562/687 रकवा 0.5700 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकवा 1.1500 हैक्टेयर किसी भी पक्ष के कब्जे में पत्थरगढी किये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।
आज दिनांक 26.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

1101
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned with Cam

